प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठः- माननीय श्री आई.एम. कुद्दूसी एवं

माननीय श्री एन.के. अग्रवाल, न्यायाधीशगण

रिट अपील संख्या 70/2009

सुरेश गुप्ता

बनाम

आदित्य जैन एवं अन्य

विचार हेतु निर्णय ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
एन.के. अग्रवाल
न्यायाधीश
11/07/2010

माननीय श्री आई.एम. कुद्दूसी

मैं सहमत हूं
सही/-
आई.एम. कुद्दूसी
न्यायाधीश

निर्णय की उद्घोषणा हेतु दिनांक 19/07/2010 को सूचीबद्ध करे ।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट अपील संख्या 70/2009

अपीलकर्ता: सुरेश गुप्ता

बनाम

उत्तरवादीगण: आदित्य जैन एवं अन्य

खंडपीठ:- माननीय श्री आई.एम. कुद्दूसी एवं

माननीय श्री एन.के. अग्रवाल, न्यायाधीशगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित :-

श्री बी.पी. शर्मा, अधिवक्ता अपीलकर्ता की ओर से ।

श्री किशोर भदुड़ी, अधिवक्ता, उत्तरवादी संख्या 1 की ओर से ।

श्री एम.पी.एस. भाटिया, उप शासकीय अधिवक्ता, राज्य/उत्तरवादी संख्या 4 की ओर से ।

आदेश

(19-7-2010)

न्यायमूर्ति अग्रवाल के अनुसार।

1. अपीलकर्ता ने यह रिट अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 14-1-2009 के आदेश द्वारा उनकी रिट याचिका (सिविल) संख्या 147/2009 की खारिजी के विरुद्ध दायर की है।

2. मामले के निर्णय हेतु आवश्यक संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:-

i. अपीलकर्ता की माता अर्थात् श्रीमती सावित्री देवी (दिवंगत) ने 0.284 हेक्टेयर (70 दशमलव) भूमि खरीदी थी जो खसरा संख्या 232/2 का हिस्सा है, जो ग्राम सरोना, पी.सी. संख्या 104, रायपुर में स्थित है, जो दिनांक 14-12-1981 के पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से एक बुल्ला उर्फ घसिया साहू से खरीदी गई थी और उक्त भूमि पर अपना नाम नामांतरित कराया। अपीलकर्ता की माता की मृत्यु के बाद, अधिकार अभिलेख में उनके स्थान पर अपीलकर्ता का नाम लाया गया।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ii. दिनांक 19-5-2001 को, अपीलकर्ता ने तहसीलदार के समक्ष भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन दायर किया जो 28-5-2005 को किया गया। दिनांक 14-5-2007 की सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार, 0.170 हेक्टेयर (ख. संख्या 232/4) का अतिरिक्त क्षेत्र खसरा पंचसला में दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, अधिकार अभिलेख में दर्ज खसरा संख्या 232 का कुल क्षेत्रफल 1.43 एकड़ था। खसरा पंचसला में, खसरा संख्या 232 का कुल क्षेत्रफल (232/1 क्षेत्रफल 0.170 हेक्टेयर, 232/2 क्षेत्रफल 0.284 हेक्टेयर, 232/3 क्षेत्रफल 0.121 हेक्टेयर और 232/4 क्षेत्रफल 0.170 हेक्टेयर) 0.749 हेक्टेयर है जो अधिकार अभिलेख में दर्ज से 0.170 हेक्टेयर अधिक है। अधिकार अभिलेख में प्रविष्टि तभी खसरा प्रविष्टि से

मेल खाएगी जब हलालखोर के नाम दर्ज भूमि 232/4 क्षेत्रफल 0.170 हेक्टेयर को छोड़ दिया जाए। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि टोयोटा कंपनी खसरा संख्या 232/2 सहित खसरा संख्या 232 की संपूर्ण भूमि के कब्जे में है।

iii. चूंकि उक्त क्षेत्र में अतिरिक्त प्रविष्टि अपीलकर्ता के हक को प्रभावित करती है, उन्होंने छ.ग. भू-राजस्व संहिता, 1959 (संक्षेप में, इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित) की धारा 116 के अधीन राजस्व अभिलेख अर्थात् खसरा पंचसला में प्रविष्टियों के सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने अपने दिनांक 30-12-2006 के आदेश (अनुलग्नक पी-3) द्वारा प्रथम दृष्ट्या यह माना कि दिनांक 30-6-2006 के नामांतरण संख्या 133 के आदेश की समीक्षा की आवश्यकता है, और संबंधित अनुविभागीय अधिकारी की समीक्षा की अनुमति मांगते हुए मामला भेजा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

iv. अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के बाद, तहसीलदार ने उत्तरवादीगण को नोटिस जारी किया। उत्तरवादी संख्या 2 और 3 नोटिस के बावजूद भी अनुपस्थित रहे। उत्तरवादी संख्या 1 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुआ, लेकिन अंतिम अवसर देने के बावजूद भी कोई जवाब दायर नहीं किया और दिनांक 17-5-2007 को तहसीलदार ने उनके जवाब दायर करने का अवसर बंद कर दिया। आवेदक की सुनवाई के बाद, तहसीलदार ने दिनांक 31-5-2007 का आदेश पारित किया जिसमें यह माना गया है कि:-

(क) अपीलकर्ता द्वारा नामांतरण संख्या 60 के माध्यम से दायर दिनांक 14-3-76 से 5-1-83 तक के संशोधन पंजी के अनुसार, हलालखोर की मृत्यु के बाद, हलालखोर के पुत्र बाबा उर्फ रमेशर, हलालखोर के पुत्र राम, हलालखोर की पुत्री देरहिन, हलालखोर की विधवा बसासिन के संरक्षण में नाबालिग रमहीन हलालखोर के पुत्र के नाम हलालखोर के स्थान पर खसरा संख्या 236/4 क्षेत्रफल 0.170 हेक्टेयर भूमि पर नामांतरित किए गए थे और खसरा संख्या 232/4 क्षेत्रफल 0.170 हेक्टेयर भूमि पर नहीं;

(ख) यह दिखाने का कोई विधिक साक्ष्य नहीं है कि वर्ष 1993-94 के खसरा पंचसला में खसरा संख्या 232/4 क्षेत्रफल 0.170 हेक्टेयर भूमि पर हलालखोर का नाम कैसे दर्ज हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि गलती से 236/4 क्षेत्रफल 0.170 हेक्टेयर के स्थान पर, भूमि 232/4 क्षेत्रफल 0.170 हेक्टेयर दर्ज हो गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ग) न्यायालयीन कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, उत्तरवादी संख्या 1, 2 और 3 ने रु. 50/- के स्टाम्प पर अपंजीकृत विनियम विलेख निष्पादित किया जिसमें उनकी खसरा संख्या 232/4 क्षेत्रफल 0.170 हेक्टेयर वाली भूमि से खसरा संख्या 163 क्षेत्रफल 0.036 हेक्टेयर वाली भूमि का विनियम और उक्त अपंजीकृत विनियम विलेख की शक्ति पर राजस्व अभिलेख में अपने नाम नामांतरित कराए;

(घ) अधिकार अभिलेख और खसरा पंचसला के अनुसार, खसरा संख्या 232/4 क्षेत्रफल 0.170 हेक्टेयर का क्षेत्रफल पंचसला खसरा में अधिकार अभिलेख में दर्ज भूमि से अधिक दर्ज है जो बिना किसी विधिक आधार के है। ऐसा प्रतीत होता है कि पंचसला खसरा में उक्त प्रविष्टि उपरोक्त भूमि पर बिना किसी हक के है; और

(ड) दिनांक 30-6-2006 के नामांतरण संख्या 133 को अपास्त करते हुए खसरा पंचसला में प्रविष्टि के सुधार अर्थात् खसरा संख्या 232/4 क्षेत्रफल 0.170 हेक्टेयर के विरुद्ध उत्तरवादी संख्या 2 और 3 के नाम को हटाने और उत्तरवादी संख्या 2 और 3 के नाम दर्ज खसरा संख्या 232/4 क्षेत्रफल 0.170 हेक्टेयर की प्रविष्टि को काटने और खसरा संख्या 163 क्षेत्रफल 0.036 हेक्टेयर भूमि में उत्तरवादी संख्या 1 के नाम को बहाल करने का निर्देश दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

v. अनुविभागीय अधिकारी और अपर कलेक्टर के समक्ष तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध उत्तरवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक अपील और द्वितीय अपील उनके दिनांक 20-11-2007 और 31-3-2008 के आदेशों द्वारा खारिज कर दी गई जिसमें तहसीलदार के निष्कर्षों और आदेश की पुष्टि की गई।

vi. इसके विरुद्ध उत्तरवादी संख्या 1 ने छ.ग. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन राजस्व बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत की। राजस्व बोर्ड ने अपने दिनांक 11-9-2008 के आदेश द्वारा पुनरीक्षण को स्वीकार किया और तत्काल

मामले में अधीनस्थ राजस्व प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश को अपास्त करते हुए दिनांक 30-6-2006 के नामांतरण संख्या 133 को पुनर्जीवित किया।

vii. राजस्व बोर्ड के आदेश से व्यथित होकर, यहां अपीलकर्ता ने विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन रिट याचिका प्रस्तुत की, जो रिट याचिका (सिविल) संख्या 147/2009 के रूप में पंजीकृत हुई, निम्नलिखित राहतों का दावा करते हुए:-

> "क. परमादेश की प्रकृति में एक रिट और/या आदेश जारी करना जो याचिकाकर्ता के मामले से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय से संपूर्ण अभिलेख मंगवाए इसके कृपापूर्ण परिशीलन के लिए मंगवाया जाए ।
>
> ख. उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट और/या आदेश जारी करना जो राजस्व पुनरीक्षण याचिका संख्या आरएन/14/आर/ए-6(ए)/367/2008 आदित्य जैन बनाम सुरेश गुप्ता और अन्य के बीच में पारित दिनांक 11-9-2008 के वादगस्त आदेश और दिनांक 6-11-2008 के पूर्णविलोकन प्रकरण संख्या आरडब्ल्यू/14/आर/ए-6-ए/72/08 सुरेश गुप्ता बनाम आदित्य जैन और अन्य के बीच के आदेश को रद्द करे और आगे संबंधित प्राधिकारियों को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में भूमि अभिलेखों में की गई प्रविष्टियों को बहाल करने का निर्देश देने की कृपा करे।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

viii. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने दिनांक 14-1-2009 के आदेश द्वारा रिट याचिका को क्षेत्राधिकारी सिविल न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया (यदि सलाह दी जाए) इसलिए यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

3. श्री बी.पी. शर्मा, रिट अपीलकर्ता के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करेंगे कि:-

i. राजस्व बोर्ड भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अर्थ में न्यायालय नहीं है, सार में विद्वान एकल न्यायाधीश ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए अपीलकर्ता की याचिका का निर्णय किया है, इसके विरुद्ध रिट अपील पोषणीय है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ii. रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन उत्तरवादीगण के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट और परमादेश रिट जारी करने का दावा करते हुए दायर की गई है, और इसलिए, याचिका मूल रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन दायर की गई है और इसके विरुद्ध अपील पोषणीय है;

iii. राजस्व बोर्ड द्वारा पारित आदेश अभिलेख के आधार पर स्पष्ट रूप से अवैध है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह मानने में त्रुटि की है कि राजस्व बोर्ड का आदेश अनुचित या अवैध नहीं है।

4. दूसरी ओर, श्री किशोर भदुड़ी, उत्तरवादी संख्या 1 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करेंगे कि रिट अपील निम्नलिखित आधारों पर खारिज किए जाने योग्य है:-

i. विद्वान एकल न्यायाधीश ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में आदेश पारित किया था, इसके विरुद्ध रिट अपील पोषणीय नहीं है।

ii. मामले में विवादित तथ्यों के प्रश्न शामिल हैं जो केवल क्षेत्राधिकारी सिविल न्यायालय द्वारा निपटाए जा सकते हैं न कि उच्च न्यायालय द्वारा अपने असाधारण संक्षिप्त रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में।

iii. विनिमय विलेख एक पंजीकृत पत्र था। राजस्व बोर्ड के पास इसे अवैध या शून्य घोषित करने की शक्ति नहीं है। हक का प्रश्न सिविल न्यायालय द्वारा तय किया जाना आवश्यक है और इसलिए, राजस्व बोर्ड द्वारा पारित आदेश को स्पष्ट रूप से अवैध या दुराग्रही नहीं कहा जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है ।

6. श्री शर्मा, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करेंगे कि राजस्व बोर्ड न्यायालय नहीं है, इसलिए इसके आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन इस न्यायालय के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं आते। इसके लिए, उन्होंने नहर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज[8] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब

लिया है । श्री शर्मा द्वारा उठाए गए उपरोक्त तर्क की विवेचना के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227, व्य.प्र.स. की धारा 5 और छ.ग. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 31 को पुन: प्रस्तुत करना उचित होगा जो इस प्रकार हैं:-

"संविधान का अनुच्छेद 227

[(1) प्रत्येक उच्च न्यायालय उन राज्यक्षेत्रों में सर्वत्र, जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, सभी न्यायालयों और अधीरकरणों का अधीक्षण करेगा ।]

(2) पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उच्च न्यायालय-

(क) ऐसे न्यायालयों से विवरणी मंगवा सकेगा;

(ख) ऐसे न्यायालयों की पद्धति और कार्यवाही को विनियमित करने के लिए साधारण नियम और प्ररूप बना सकेगा, और निकल सकेगा तथा विहित कर सकेगा; और

(ग) किन्हीं ऐसे न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों, प्रविष्टियों और लेखाओं के प्ररूप विहित कर सकेगा ।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(3) उच्च न्यायालय उन फ़ीसो की सारणिया भी स्थिर कर सकेगा जो ऐसे न्यायालयों के शैरिफ़ को तथा सभी लिपिकों और अधिकारियों को तथा उनमें विधि व्यवसाय करने वाले अटर्नियो, अधिवक्ताओ और प्लीडरो को अनुज्ञेय होंगी:

परंतु खंड (2) या खंड (3) के अधीन बनाए गए कोई भी नियम, विहित किए गए प्रपत्र या निर्धारित की गई तालिका उस समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों से असंगत नहीं होगी और राज्यपाल की पूर्व अनुमति अपेक्षित होगी।

(4) इस अनुच्छेद की कोई बात उच्च न्यायालय को सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण पर पर्यवेक्षण की शक्तियां प्रदान करने वाली नहीं समझी जाएगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 5

"राजस्व न्यायालयों को संहिता का लागू होना.- (1) जहां कोई राजस्व न्यायालय प्रक्रिया के उन मामलों में इस संहिता के उपबंधों द्वारा शासित होते हैं जिन पर उनको लागू होने वाला कोई विशेष अधिनियम मौन है, वहां राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि उन उपबंधों के कोई भाग, जो इस संहिता द्वारा स्पष्ट रूप से लागू नहीं किए गए हैं, उन न्यायालयों पर लागू नहीं होंगे, या केवल ऐसे उपांतरणों सहित उन पर लागू होंगे, जो राज्य सरकार विहित करे।

(2) उपधारा (1) में "राजस्व न्यायालय" से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जिसे कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि के किराए, राजस्व या लाभ से संबंधित वादों या

अन्य कार्यवाहियों को ग्रहण करने के लिए किसी स्थानीय विधि के अधीन अधिकारिता प्राप्त है, किन्तु इसके अंतर्गत ऐसा सिविल न्यायालय सम्मिलित नहीं है जिसे इस संहिता के अधीन ऐसे वादों या कार्यवाहियों को सिविल प्रकृति के वादों या कार्यवाहियों के रूप में विचारण करने के लिए आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है।

छ.ग. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 31

मण्डल तथा राजस्व अधिकारियों को न्यायालयों की प्रास्थिति का प्रदान किया जाना- **"**मण्डल या राजस्व अधिकारी जबकि वह राज्य सरकार तथा किसी व्यक्ति के बीच या किन्हीं कार्यवाहियों के पक्षकारों के बीच अवधारण के लिए उद्भूत होने वाले किसी प्रश्न की जाँच करने या उसे विनिश्चित करने के लिए इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, राज्यस्व न्यायालय होगा।**"**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अनुसार, प्रत्येक उच्च न्यायालय का उस राज्यक्षेत्र में स्थित "**सभी न्यायालयों**" और न्यायाधिकरणों पर पर्यवेक्षण होगा जिसके संबंध में वह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। व्य.प्र.स. की धारा 5(2) के अनुसार, "राजस्व न्यायालय" का अर्थ ऐसा न्यायालय है जिसे कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के किराया, राजस्व या लाभ से संबंधित वाद या अन्य कार्यवाही का मनोरंजन करने के लिए स्थानीय विधि के तहत क्षेत्राधिकार प्राप्त है, लेकिन इसमें वह

सिविल न्यायालय शामिल नहीं है जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है कि वह ऐसे वाद या कार्यवाही को सिविल प्रकृति के वाद या कार्यवाही के रूप में आजमाए। छ.ग. भू-राजस्व संहिता की धारा 31 के तहत, राजस्व बोर्ड को राजस्व न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया है।

8. **नहर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन**[1] के मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय ने सिविल न्यायालय से ऋण वसूली न्यायाधिकरण में मामले के स्थानांतरण के लिए व्य.प्र.स. की धारा 22 से 25 के अधीन स्थानांतरण क्षेत्राधिकार पर विचार करते हुए यह माना है कि ऋण वसूली अधिकरण न तो सिविल न्यायालय हैं और न ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय से सामान्यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इसके रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में या भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन इसके क्षेत्राधिकार के प्रयोग में संपर्क किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग न केवल न्यायालयों पर बल्कि न्यायाधिकरणों पर भी करता है। (कंडिका 92)। यह आगे माना गया कि व्य.प्र.स. में "न्यायाधिकरण", "न्यायालय" और "सिविल न्यायालय" शब्दों का प्रयोग अलग-अलग किया गया है। सभी "न्यायालय" "न्यायाधिकरण" हैं लेकिन सभी "न्यायाधिकरण" "न्यायालय" नहीं हैं। इसी प्रकार सभी "सिविल न्यायालय" "न्यायालय" हैं लेकिन सभी "न्यायालय" "सिविल न्यायालय" नहीं हैं। यह अधिक विवाद में नहीं है कि "न्यायालय" और "न्यायाधिकरण" के बीच व्यापक अंतर यह है कि जबकि "न्यायालय" का निर्णय अंतिम होता है, "न्यायाधिकरण" का

[1] 2009(8) एस सी सी 646

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

निर्णय नहीं हो सकता। हालांकि, "न्यायाधिकरण" जो गवाहों के साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत है, सामान्यतः साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 के अर्थ में "न्यायालय" माना जाएगा। इसमें न केवल न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट शामिल हैं बल्कि मध्यस्थों को छोड़कर, साक्ष्य लेने के लिए विधिक रूप से अधिकृत व्यक्ति भी शामिल हैं। यह एक समावेशी परिभाषा है। अन्य मंच भी हो सकते हैं जो उक्त परिभाषा के दायरे में भी आएंगे। हालांकि, इसका यह अर्थ नहीं होगा कि केवल इसलिए कि किसी न्यायाधिकरण के पास "न्यायालय की सभी बाहरी विशेषताएं" हैं, वह न्यायालय होगा। (कंडिका 67 और 68)। यह आगे माना गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता स्वयं यह निर्धारित करती है कि राजस्व न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय नहीं होंगे। "सिविल न्यायालय" शब्द बनाम एक न्यायालय का निर्माण संविधि के पाठ और संदर्भ को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। (कंडिका 69, 71 और 73)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. माननीय शीर्ष न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में कहीं भी यह विधि नहीं बनाया कि राजस्व बोर्ड या अन्य समान प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं आते।

10. **एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ और अन्य**[2] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि उच्च न्यायालयों में निहित शक्ति जो अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के निर्णयों पर न्यायिक पर्यवेक्षण का

[2] (1997) 3 एस सी सी 261

प्रयोग करती है, वह भी संविधान की आधारभूत संरचना का हिस्सा है। यह इसलिए है कि एक स्थिति जहां उच्च न्यायालयों को संवैधानिक व्याख्या के अलावा अन्य सभी न्यायिक कार्यों से वंचित कर दिया जाता है, उससे बचना भी उतना ही आवश्यक है। (कंडिका 79)।

11. **एस.के. सरकार सदस्य, राजस्व बोर्ड यू.पी., लखनऊ बनाम विनय चंद्र मिश्रा**[3] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा 10 से निपटते हुए यह माना है कि संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन, उच्च न्यायालय के पास उस राज्यक्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति है जिसके संबंध में वह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। राजस्व बोर्ड का न्यायालय, इसलिए, स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के प्रयोग में पारित आदेश के विरुद्ध कोई ऐसी अपील नहीं होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. उपरोक्त के अनुसार, चूंकि उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन उस राज्यक्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अपने पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, जिसमें राजस्व न्यायालय भी शामिल है, इसलिए, श्री शर्मा द्वारा उठाया गया पहला तर्क निर्मूल है और हमारे विचार में राजस्व बोर्ड के आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन इस न्यायालय के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के अधीन आते हैं।

[3] ए ई आर 1981 एस सी 723

13. उत्तर दिए जाने वाला दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, दायर रिट अपील पोषणीय है। छ.ग. उच्च न्यायालय (खंडपीठ को अपील) अधिनियम, 2006 की धारा 2(1) इस प्रकार है:-

"2. उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा मूल अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में किए गए निर्णय या आदेश से उच्च न्यायालय की खंडपीठ को अपील:-

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय या आदेश से उसी उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की खंडपीठ को अपील होगी।

परन्तु ऐसी कोई अपील किसी अंतरिम आदेश के विरुद्ध या भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में पारित आदेश के विरुद्ध नहीं होगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. उपरोक्त उद्धृत अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) का केवल परिशीलन ही इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता कि यह उच्च न्यायालय के एकल न्यायपीठ के निर्णय से व्यथित पक्षकार को उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील करने की अनुमति देता है, यदि एकल न्यायाधीश ने संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में निर्णय प्रस्तुत किया है या आदेश पारित किया है। धारा 2 की उप-धारा (1)

का परंतुक स्पष्टतः घोषित करता है कि ऐसी कोई अपील संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में पारित आदेश के विरुद्ध नहीं होगी।

15. अतः यह स्पष्ट है कि यदि आदेश उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में पारित किया गया है, तो अंतःन्यायालय अपील होगी। दूसरी ओर, यदि एकल न्यायाधीश अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग करता है, तो अंतःन्यायालय अपील सक्षम नहीं होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. माननीय उच्चतम न्यायालय ने उमाजी केशाव मेशराम एवं अन्य बनाम राधिकाबाई एवं अन्य[4] के मामले में कंडिका 100, 101 और 103 में निम्नानुसार माना है:-

> "अनुच्छेद 226 और 227 द्वारा प्रदत्त शक्तियां पृथक और भिन्न हैं और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती हैं। यह तथ्य कि कभी-कभी दो भिन्न प्रक्रियाओं द्वारा समान परिणाम प्राप्त किया जा सकता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि ये दोनों प्रक्रियाएं समान हैं। उनका स्रोत और उत्पत्ति भिन्न है और जिन प्रारूपों पर वे आधारित हैं वे भी भिन्न हैं। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अधीक्षण की शक्ति के समान नहीं है। अनुच्छेद 227 द्वारा प्रत्येक उच्च न्यायालय को प्रदत्त अधीक्षण की शक्ति एक पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र है और अनुच्छेद 226 द्वारा उच्च न्यायालयों को प्रदत्त शक्ति के अतिरिक्त है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कार्यवाही में जिस व्यक्ति, प्राधिकारी या राज्य के विरुद्ध निर्देश,

[4] 1986 (एस यू पी पी एल) एस सी सी 401

आदेश या रिट मांगी जाती है वह आवश्यक पक्षकार है। हालांकि, अनुच्छेद 227 के अंतर्गत, जो उच्च न्यायालय के समक्ष आता है वह अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण का आदेश या निर्णय है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ऐसा निर्णय या आदेश देते समय उस अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण ने अपने प्राधिकार के भीतर और विधि के अनुसार कार्य किया है या नहीं। अनुच्छेद 226 द्वारा संविधान के प्रारंभ से पूर्व चार्टर्ड उच्च न्यायालयों द्वारा धारित प्रिरोगेटिव रिट जारी करने की शक्ति को व्यापक और अधिक विस्तृत बनाया गया है और प्रत्येक उच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। हालांकि, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग की प्रकृति वही रहती है जैसी चार्टर्ड उच्च न्यायालयों द्वारा प्रिरोगेटिव रिट जारी करने की शक्ति के मामले में थी। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कार्यवाही एक मूल कार्यवाही है और जब यह नागरिक अधिकारों से संबंधित होती है, तो यह एक मूल सिविल कार्यवाही है। अनुच्छेद 227 के अंतर्गत कार्यवाही मूल कार्यवाही नहीं है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उमाजी के मामले के कंडिका 107 में यह आगे माना गया कि:-

107. कभी-कभी भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 दोनों के अंतर्गत याचिकाएं दायर की जाती हैं। हरि विष्णु कामथ बनाम सैयद अहमद इशाक (एआईआर 1955 एससी 233) में इस न्यायालय के समक्ष मामला ऐसी प्रकार का था। नियम 18 यह प्रावधान करता है कि जहां ऐसी याचिकाएं अध्याय **XVII** के अपीलीय पक्ष नियमों के नियम 18 में विनिर्दिष्ट न्यायाधिकरणों या प्राधिकारियों

के आदेशों के विरुद्ध या उस नियम में विनिर्दिष्ट न्यायालयों के डिक्री या आदेशों के विरुद्ध दायर की जाती हैं, वे एकल न्यायाधीश द्वारा सुनी और अंतिम रूप से निपटाई जाएंगी। प्रश्न यह है कि क्या ऐसे मामले में एकल न्यायाधीश के निर्णय से अपील होगी। हमारी राय में, जहां तथ्य एक पक्षकार को मुकदमे या प्रशासनिक कार्यवाही में असफल पक्षकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के अंतर्गत आवेदन दायर करने में न्यायोचित ठहराते हैं, और पक्षकार इन दोनों अनुच्छेदों के अंतर्गत अपना आवेदन दायर करने का चयन करता है, तो ऐसे पक्षकार के प्रति निष्पक्षता और न्याय में और उसे अपील के बहुमूल्य अधिकार से वंचित न करने के लिए न्यायालय को आवेदन को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत किए गए आवेदन के रूप में मानना चाहिए, और यदि मामले का निर्णय करते समय, अंतिम आदेश में न्यायालय सहायक निर्देश देता है जो अनुच्छेद 227 से संबंधित हो सकते हैं, तो इससे पक्षकार को पत्र पेटेंट के खंड 15 के अंतर्गत अपील के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए जहां अपील का विषय बनने वाले आदेश का वस्तुगत भाग अनुच्छेद 226 के अंतर्गत है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऐदल सिंह बनाम करन सिंह (एआईआर 1957 ऑल 414) में और पंजाब उच्च न्यायालय ने राज किशन जैन बनाम तुलसी दास (एआईआर 1959 पंज 291) और बरहम दत्त बनाम पीपल्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड, नई दिल्ली (एआईआर 1961 पंज 24) में ऐसा ही विचार लिया था और हम इससे सहमत हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. माननीय उच्चतम न्यायालय ने सूर्य देव राय बनाम राम चंदर राय[5] के मामले में कस्टोडियन बनाम खान साहेब अब्दुल शुकूर (1961 (3) एससीआर 855), नगेंद्र नाथ बोरा बनाम पहाड़ी प्रभाग के आयुक्त (एआईआर 1958 एससी 398), टी.सी. बसप्पा बनाम टी. नगप्पा (एआईआर 1954 एससी 440) और रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा (एआईआर 2002 एससी 1771) के निर्णयों का संदर्भ देते हुए, कंडिका 17, 19 और 25 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"17. उपरोक्त विधि के प्रतिपादन से यह काफी स्पष्ट और प्रदीप्त है कि रिट याचिका में अभिवचन, माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की प्रकृति, आदेश का चरित्र और रूपरेखा, जारी किए गए निर्देश, दिया गया नामकरण, संवैधानिक संदर्भ में अधिकार क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य को समझा जाना है। यह अति तकनीकी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि रिट याचिका में पारित आदेश, यदि निम्न न्यायाधिकरण या अधीनस्थ न्यायालयों से उत्पन्न आदेश पर आक्रमण है, तो उसे हर समय सभी उद्देश्यों के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत माना जाना है। अधिनियम की धारा 2 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में उपयोग की गई शब्दावली को प्रतिबंधित और संकुचित अर्थ नहीं दिया जा सकता क्योंकि रिट याचिका में पारित आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के अंतर्गत आदेश के बराबर हो सकता है और यह माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[5] 2003 (6) एस सी सी 675

वास्तविक प्रकृति पर निर्भर करेगा। विस्तार से बताने के लिए; क्या माननीय एकल न्यायाधीश ने अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 227 या दोनों के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है, यह विभिन्न पहलुओं और अनेक पक्षों पर निर्भर करेगा जैसा कि शीर्ष न्यायालय के उपरोक्त उद्धृत निर्णयों में जोर दिया गया है। अभिवचन, जैसा कि ऊपर बताया गया है, भी अत्यधिक महत्व रखते हैं। जैसा कि सूर्य देव राय में माना गया है, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत एक न्यायाधिकरण के आदेश या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध उत्प्रेषण की रिट जारी की जा सकती है। सारतः, यह स्ट्रेटजैकेट सूत्र में नहीं रखा जा सकता कि माननीय एकल न्यायाधीश का कोई भी आदेश जो निम्न न्यायाधिकरण या अधीनस्थ न्यायालय से उत्पन्न आदेश से संबंधित है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत आदेश है न कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आदेश। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि रिट याचिका में आदेश संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 की सूक्ष्म रूपरेखा में समग्र रूप से फिट हो सकता है और वे मेल खा सकते हैं, सह-अस्तित्व में रह सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं । इस संदर्भ में यह उल्लेख करना उचित है कि ऐसे मामले हो सकते हैं जहां माननीय एकल न्यायाधीश पूर्ण और संपूर्ण न्याय करने के लिए रिट जारी करने के लिए इच्छुक या इच्छुक महसूस कर सकते हैं क्योंकि यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि संविधान का अनुच्छेद 226 मूल रूप से न्याय का एक भंडार और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जलाशय है जो साम्य और सद्विवेक पर आधारित है। यह मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर निर्भर करेगा।

19. इस प्रकार, कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायिक न्यायालय के आदेश और कार्यवाहियां संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं।

25. निर्णीत मामलों की समीक्षा और उन अवसरों के सर्वेक्षण पर, जिनमें उच्च न्यायालयों ने विभिन्न मामलों में दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में उत्प्रेषण की रिट को आदेश देने या अनुच्छेद 227 के अंतर्गत पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है, ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों अधिकार क्षेत्रों के बीच का अंतर व्यवहार में लगभग मिट गया है। संभवतः, यही कारण है कि वकीलों के साथ यह प्रथा बन गई है कि वे अपनी याचिकाओं को संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत एक समान के रूप में लेबल करते हैं, हालांकि इस प्रथा की कुछ न्यायिक उद्घोषणाओं में निंदा की गई है। विषय की बारीकियों और तकनीकीता में प्रवेश किए बिना, हम दोनों अधिकार क्षेत्रों के बीच व्यापक सामान्य अंतर बताने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम, उत्प्रेषण की रिट उच्च न्यायालय द्वारा अपने मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग है; पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग मूल अधिकार क्षेत्र नहीं है और इस अर्थ में यह अपीलीय, पुनरीक्षण या सुधारात्मक अधिकार क्षेत्र के समान है। दूसरे, उत्प्रेषण की रिट में, कार्यवाहियों के अभिलेख को प्रमाणित करके निम्न न्यायालय या न्यायाधिकरण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

द्वारा उच्च न्यायालय में भेजा गया है, यदि उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए इच्छुक है, तो वह केवल कार्यवाहियों को रद्द या निरस्त कर सकता है और फिर और कुछ नहीं कर सकता। पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में, उच्च न्यायालय न केवल वादगस्त कार्यवाहियों, निर्णय या आदेश को रद्द या निरस्त कर सकता है बल्कि यह ऐसे निर्देश भी दे सकता है जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों द्वारा आवश्यक हों, हो सकता है, निम्न न्यायालय या न्यायाधिकरण को मार्गदर्शन देने के तरीके से कि वह अब आगे या नए सिरे से कैसे आगे बढ़ेगा जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा सलाह दी गई है या मार्गदर्शन किया गया है। उपयुक्त मामलों में उच्च न्यायालय, पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, वादगस्त निर्णय के स्थान पर अपना ऐसा निर्णय प्रतिस्थापित कर सकता है, जैसा निम्न न्यायालय या न्यायाधिकरण को करना चाहिए था। अंत में, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र व्यथित पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से की गई प्रार्थना पर प्रयोग किए जाने में सक्षम है; पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र स्वतः संज्ञान के साथ-साथ प्रयोग किए जाने में सक्षम है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **किशोरीलाल बनाम विक्रय अधिकारी, जिला भूमि विकास बैंक**[6] के मामले में कंडिका 5 में निम्नानुसार अवधारित किया है:-

"5. अपीलार्थी द्वारा दायर पत्र पेटेंट अपील खंडपीठ के समक्ष इस आधार पर खारिज कर दी गई कि वही पोषणीय नहीं थी क्योंकि माननीय एकल न्यायाधीश

[6] 2006 (7) एस सी सी 496

ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया था।

13. हमारी राय में माननीय एकल न्यायाधीश ने राजस्व मंडल द्वारा पहुंचे गए तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में त्रुटि की। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भी गलत तरीके से एलपीए को यह ध्यान दिए बिना खारिज कर दिया कि यदि रिट याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 दोनों के अंतर्गत दायर की गई थी तो अपील पोषणीय होगी जैसा कि इस न्यायालय ने सुशीलाबाई लक्ष्मीनारायण मुदलियार बनाम निहालचंद वाघाजीभाई शाह (1993 एस यू पी पी (1) एससीसी 11) में माना था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **रमेश चंद्र संकला बनाम विक्रम सीमेंट**[7] के मामले में कंडिका 47 और 48 में निम्नानुसार अवधारित किया है:-

47. हमारे निर्णय में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत करने में सही हैं कि कार्यवाही का नामकरण या संविधान के किसी विशेष अनुच्छेद का संदर्भ अंतिम या निर्णायक नहीं है। वह यह प्रस्तुत करने में भी सही हैं कि एकल न्यायाधीश द्वारा यह परिशीलन कि उन्होंने मामले से कैसे निपटा है, वह भी निर्णायक नहीं है। यदि ऐसा होता, तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत सख्ती से आने वाली याचिका को एकल न्यायाधीश द्वारा यह परिशीलन करते हुए निपटाया जा सकता है कि वह संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अधीक्षण की शक्ति का

[7] 2008(14) एस सी सी 58

प्रयोग कर रहे हैं। क्या एकल न्यायाधीश का ऐसा कथन व्यथित पक्षकार से निर्णय के विरुद्ध अपील के अधिकार को छीन सकता है यदि अन्यथा याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत है और अंतःन्यायालय/पत्र पेटेंट अपील के अधीन है? उत्तर निस्संदेह नकारात्मक में है (पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (1998) 5 एससीसी 749 देखें)।

48. हालांकि, हमारे विचार में, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, कंपनी द्वारा स्थापित याचिका और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णीत याचिका को संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल कार्यवाही नहीं कहा जा सकता। हम स्पष्ट रूप से इस विचार के हैं कि माननीय एकल न्यायाधीश ने संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अधीक्षण की शक्ति के प्रयोग में याचिकाओं का निर्णय किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. **अशोक के. झा एवं अन्य बनाम गार्डन सिल्क मिल्स एवं अन्य**[8] के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कंडिका 35 और 36 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

"35. यदि अपील के अधीन निर्णय अनुच्छेद 227 के चार कोनों के भीतर पूरी तरह से आता है, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे निर्णय से अंतःन्यायालय अपील पोषणीय नहीं होगी। दूसरी ओर, यदि याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कुछ रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय के

[8] 2009 ए ई आर एस सी डबल्यू 6509

अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया है, हालांकि अनुच्छेद 227 का भी उल्लेख किया गया है, और मुख्य रूप से अपील के अधीन निर्णय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आता है, तो अपील पोषणीय होगी। जो महत्वपूर्ण है वह यह पता लगाना है कि एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की वास्तविक प्रकृति क्या है न कि वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय किस प्रावधान का उल्लेख करते हैं। हम रमेश चंद्र संकला (2008 (14) एससीसी 58) में इस न्यायालय के विचार से सहमत हैं कि माननीय एकल न्यायाधीश का एक कथन कि उन्होंने अनुच्छेद 227 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग किया है, ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील के अधिकार को नहीं छीन सकता यदि शक्ति अन्यथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रयोग की गई पाई जाती है। अंतःन्यायालय अपील की ग्रहणीयता के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण कारक पक्षकार द्वारा आह्वान किए गए अधिकार क्षेत्र की प्रकृति और एकल न्यायाधीश द्वारा पारित मुख्य आदेश की वास्तविक प्रकृति है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

36. जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, रिट याचिका (विशेष सिविल आवेदन) के शीर्षक में संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 का उल्लेख किया गया है। रिट याचिका का सावधानीपूर्वक पठन दर्शाता है कि रिट याचिका उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र तक सीमित नहीं है। नियोक्ता ने उत्प्रेषण की रिट के लिए प्रार्थना करते हुए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया है। रिट याचिका में प्रार्थना खंड है, "उपरोक्त आधारों के परिप्रेक्ष्य में आपके माननीय द्वारा उत्प्रेषण की रिट या कोई अन्य उपयुक्त आदेश जारी किया जाए...."। अतः एकल

न्यायाधीश का निर्णय अनुच्छेद 226 से जुड़ा हुआ है। एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश में यह कथन किया है कि संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता, वह निर्णायक नहीं है। इसके अलावा, खंडपीठ ने अपने आदेश में परिशीलन किया, "हालांकि ग्रहणीयता के प्रश्न पर लंबी बहस की गई, अपील की ग्रहणीयता के प्रश्न पर वास्तव में कोई गंभीर विवाद नहीं था।" इन सभी कारणों से, हम मानते हैं कि माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर, 2007 को पारित आदेश से पत्र पेटेंट अपील पोषणीय थी। हम प्रश्न (2) का उत्तर सकारात्मक में देते हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त संदर्भित विभिन्न उद्घोषणाओं में निर्धारित विधि के परिप्रेक्ष्य में, माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा अपने आदेश में यह कथन कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता, निर्णायक नहीं है (अशोक के. झा एवं अन्य (पूर्वोक्त)), जो महत्वपूर्ण है वह यह पता लगाना है कि माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की वास्तविक प्रकृति क्या है न कि वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय किस प्रावधान का उल्लेख करते हैं। छ.ग. उच्च न्यायालय (खंडपीठ को अपील) नियम, 2006 की धारा 2 की उप-धारा (1) के परंतुक को तदनुसार समझा जाना है।

वर्तमान मामले में, रिट याचिका के शीर्षक में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 का उल्लेख किया गया है। रिट याचिका का सावधानीपूर्वक पठन दर्शाता है कि रिट

याचिका उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र तक सीमित नहीं है। रिट अपीलार्थी ने उत्प्रेषण की रिट के लिए प्रार्थना करते हुए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया है। अतः माननीय एकल न्यायाधीश का निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 से जुड़ा हुआ है। इन सभी कारणों से, हम मानते हैं कि रिट अपील पोषणीय है। इस प्रकार उठाया गया दूसरा प्रश्न सकारात्मक में उत्तरित किया जाता है।

22. अब मुख्य प्रश्न पर आते हुए, हमने राजस्व अधिकारियों और राजस्व बोर्ड द्वारा पारित आदेशों का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है। राजस्व अधिकारियों अर्थात् तहसीलदार, उप मंडल अधिकारी और अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेशों से यह प्रतीत होता है कि खसरा संख्या 232/4 क्षेत्रफल 0.170 हेक्टेयर भूमि अस्तित्व में नहीं है क्योंकि वह मृत हलालखोर के स्थान पर उसके विधिक प्रतिनिधि के नाम दर्ज करते समय संशोधन पंजी में नामांतरण संख्या 60 में नहीं दिखाई गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण ने किसी भी समय यह नहीं बताया है कि वर्ष 1993-94 के खसरा में हलालखोर का नाम कैसे दर्ज हुआ। राजस्व बोर्ड के अनुसार भी, यह स्पष्ट नहीं है कि खसरा संख्या 232/4 भूमि पर पंचशाला वर्ष 1993-94 में हलालखोर का नाम किस आधार पर दर्ज किया गया था।

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 110 के अधीन नामांतरण मामले की सुनवाई करने वाले राजस्व न्यायालय को भूमि अभिलेखों में प्रविष्टि के उद्देश्य से भूमि

में किसका हक निहित है, इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। कब्जे/प्रतिकूल कब्जे के आधार पर दावे में कोई नामांतरण नहीं किया जाना चाहिए।

राजस्व न्यायालयों के पास प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कोई दावा तय करने का क्षेत्राधिकार नहीं है; यह सिविल न्यायालय के क्षेत्र में है। नामांतरण स्पष्ट हक की प्राप्ति के आधार पर किया जाना चाहिए।

यह भी प्रतिष्ठित विधि है कि बिना हक के विक्रेता द्वारा निष्पादित पत्र क्रेता के पक्ष में कोई हक प्रदान नहीं करेगा और ऐसे पत्र के आधार पर कोई नामांतरण नहीं किया जा सकता। तथ्यों से यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 30.06.2006 के नामांतरण संख्या 133 के संबंध में आदेश पारित करने के समय उत्तरवादीगण के बीच निष्पादित विनियम विलेख भी पंजीकृत नहीं था। वह मामले के लंबित रहने के दौरान पंजीकृत किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसके अतिरिक्त, राजस्व अधिकारियों ने उत्तरवादीगण के बीच निष्पादित पंजीकृत विनियम विलेख की वैधता या अन्यथा पर निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने नामांतरण प्रविष्टि संख्या 133/2006 की वैधता से निपटा है जो बिना किसी आधार के प्रतीत होती है। इस प्रकार, हमें राजस्व अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों में कोई क्षेत्राधिकारी अवैधता नहीं दिखती। इसलिए, हमारे विचार में, राजस्व बोर्ड ने अपने अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को उलटने में अपने क्षेत्राधिकार से अधिक कार्य किया है जो विधि में पोषणीय नहीं है।

23. उपरोक्त के लिए, रिट अपील स्वीकार की जाती है। राजस्व बोर्ड द्वारा पारित वादगस्त आदेश (अनुलग्नक पी-9) रद्द किया जाता है। हालांकि, यह उत्तरवादीगण के लिए खुला छोड़ा जाता है कि वे वादगस्त भूमि पर अपना हक क्षेत्राधिकारी सिविल न्यायालय में स्थापित करें, यदि सलाह दी जाए। यह आगे निर्देश दिया जाता है कि यदि ऐसा वाद दायर किया जाता है तो सिविल न्यायालय इस न्यायालय द्वारा तत्काल आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना विधि के अनुसार अपने स्वयं के गुण-दोष पर मामले का निर्णय करेगा। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है ।

सही/-
आई. एम. कुद्दूसी
न्यायाधीश

सही/-
एन.के. अग्रवाल
न्यायाधीश

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Shaantam Patil